न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/20 **निर्णय दिनांकः–18–02–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2020/00014)

1. विलास कुमार पुत्र राम निरंजन वर्मा निवासी गांव बिसाऊ तहसील व जिला झुँझनू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01–09–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–
1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 01–09–2008 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन बतौर मोहरबन्द के तहत किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत हाल तहसील बज्जू में चक 04 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/30 की भूमि बतौर मोहरबन्द आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे तथा धरोहर राशि 18,450/– भी खजानाराज में जमा करवाई गई थी तथा उक्त भूमि का आवंटन हेतु श्रीमान् आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के अनुमोदन करने पर अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूमि चक परिवर्तन होने पर सीएडी प्लान के अनुसार चक 3 बीएलएम के रूप में पैमूद हुआ। वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि आराजी जैर भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति गोपालराम पुत्र मोडूराम रेगर के नाम से मोहरबन्द में आवंटित भमि थी। वादग्रस्त भूमि की स्थिति के संबंध में पूर्व में किसी भी स्तर पर यह टिप्पणी अंकित नहीं की गई थी कि वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक न तो अपीलांट के उपरोक्त विधि विरूद्व आवंटन को खारिज किया गया है ना ही अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नहीं किये जाने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही आवंटन अधिकारी द्वारा की गई है। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवेदन अन्य सीलबीड हेतु आरक्षित भूमि की प्रक्रिया में शामिल किया जाकर अन्य समान श्रेणी की भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपीलांट के आवेदन पत्र पर नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा जमा करवाई गई राशि आज दिनांक तक खजानाराज में जमा है तथा अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को सामन श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान करावें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–09–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 07–01–20 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–09–2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07–01–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया हैं। अपीलांट को मोहरबन्द श्रेणी के तहत अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर मोहरबन्द बोली के तहत आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 04 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/30 में 24 बीघा 05 बिस्वा आवंटन की मांग की गई थी तथा प्रार्थना पत्र के साथ ही धरोहर राशि 18450/— भी खजानाराज में जमा करवाये जा चुके थे। आराजी जैर का आवंटन आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के अनुमोदन पश्चात् कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति गोपरालराम पुत्र मोडूराम जाति रेगर को आवंटित भूमि थी। ऐसी स्थिति में यदि मुरब्बा अन्य व्यक्ति को आवंटित था तो भी आवेदक द्वारा राशि जमा करवा देने पर अन्यत्र अधिसूचित भूमि के लिये बोली में आवेदन शामिल किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक ना तो अपीलांट के आवेदन को अन्य अधिसूचित बोली में शामिल किया गया ना ही अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज ही किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तत्समय ही वादग्रस्त भूमि के बाबत् सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी करते हुए आवंटन की कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता व लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिलना चाहिए। ऐसीस्थिति में अपीलांट के पास उच्चतर न्यायालय में अपील के अतिरिक्त अन्य को उपचार शेष नहीं रह जाने पर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित किये जाने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—09—2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट के आवेदन पत्र पर समान श्रेणी की अन्यत्र अधिसूचित भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18—02—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 12:17:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: